मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27—10—2025 की कार्यवाही

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27—10—2025 में अधिकारियों की उपस्थिति :—

1.	श्री विनय शंकर पाण्डेय, IAS, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।	अध्यक्ष
2.	श्री बंशीधर तिवारी, IAS, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	सदस्य
3.	श्री विजय कुमार, संयुक्त सचिव, वित्त।	सदस्य (सचिव वित्त के नामित प्रतिनिधि)
4.	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव	सदस्य (सचिव आवास के नामित प्रतिनिधि)
5.	श्री कृष्ण कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून।	सदस्य (जिलाधिकारी, देहरादून के नामित प्रतिनिधि)
6.	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।	सदस्य (नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के नामित प्रतिनिधि)।
7.	श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड।	सदस्य

सहयोग संचालन हेतु उपस्थिति

1. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. श्री गौरव चटवाल, संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्री संजीव कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4. श्री एच0सी0एस0 राणा, मुख्य अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. श्री सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. श्री अतुल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
7. श्री अजय कुमार मलिक, सहायक अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
8. श्री सुनील कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं सभी मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29-05-2025 में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसका अवलोकन कर पुष्टि करते हुये प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 01:- **मानचित्र पत्रावली संख्या सी0-0137/25-26 मै0 आईवी0वाई होटल एण्ड रिजोर्ट्स द्वारा-पार्टनर श्री मोहम्मद इलियास पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गनी द्वारा सम्पत्ति संख्या 2/4/3 ओल्ड मसूरी रोड डाकपट्टी देहरादून पर होटल भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या सी0-0137/25-26 मै0 आईवी0वाई होटल एण्ड रिजोर्ट्स द्वारा-पार्टनर श्री मोहम्मद इलियास पुत्र स्व0 श्री अब्दुल गनी द्वारा आवेदित सम्पत्ति संख्या 2/4/3 ओल्ड मसूरी रोड डाकपटटी देहरादून पर होटल भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग पब्लिक/सेमी पब्लिक में निर्धारित है। प्रश्नगत स्थल फुटहिल के अन्तर्गत है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005-25 के अनुसार पब्लिक/सेमी पब्लिक भू-उपयोग के अन्तर्गत होटल निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार-विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 02:- **मानचित्र पत्रावली संख्या-सी0-0202/25-26श्री दिनेश महन्त पुत्र श्री गुरूदास सिंह द्वारा खसरा नम्बर-23, 26, 19मि0, 20मि0 एंव 21मि0 मौजा-फेन्दूवाला परगना परवादून, तहसील डोईवाला देहरादून में मोटल भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या-सी0-0202/25-26 श्री दिनेश महन्त पुत्र श्री गुरूदास सिंह द्वारा आवेदित खसरा नम्बर-23, 26, 19मि0, 20मि0 एंव 21मि0 मौजा-फेन्दूवाला परगना परवादून, तहसील डोईवाला देहरादून में मोटल भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना-2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग नदी तट से 30.00मी0 वृक्षारोपण के उपरान्त कृषि में निर्धारित है। देहरादून महायोजना-2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत मोटल निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार-विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि प्रश्नगत स्थल पर मोटल का ही निर्माण किया जायेगा।

विषय कमांक 03:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0244/25–26श्रीमती शांकुम्बरी देवी पत्नी स्व0 श्री बलदेव प्रसाद एंव श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री बलदेव प्रसाद द्वारा खसरा नम्बर–1512ग मौजा–बडकोट माफी परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0244/25–26 श्रीमती शांकुम्बरी देवी पत्नी स्व0 श्री बलदेव प्रसाद एंव श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री बलदेव प्रसाद द्वारा खसरा नम्बर–1512ग मौजा–बडकोट माफी परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश देहरादून में आवेदित व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान–रानीपोखरी के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग देहरादून–ऋषिकेश मार्ग 30.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त बगीचे की बाउण्ड्री के पश्चात आवासीय में निर्धारित है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण की अनुमति 05 प्रतिशत इम्पेक्ट शुल्क के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 04:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0242/25–26श्री दयानन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री भगवन्त सिंह द्वारा खसरा नम्बर–122/6 मौजा–सेन्ट्रलहोपटाउन सेलाकुई परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में व्यवसायिक एंव आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0242/25–26 श्री दयानन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री भगवन्त सिंह द्वारा आवेदित खसरा नम्बर–122/6 मौजा–सेन्ट्रलहोपटाउन सेलाकुई परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में व्यवसायिक एंव आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान सेलाकुई के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग निगम रोड के 12.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त आवासीय में निर्धारित है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण की अनुमति 05 प्रतिशत इम्पैक्ट शुल्क के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 05:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0205/25–26आरई1 श्रीमती निशा सकलानी पत्नी डा0 एस0 एन0 सकलानी द्वारा खसरा नम्बर 675 मौजा–तरला नागल, परगना परवादून देहरादून में व्यवसायिक भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0205/25–26आरई1 श्रीमती निशा सकलानी पत्नी डा0 एस0 एन0 सकलानी द्वारा खसरा नम्बर 675 मौजा–तरला नागल, परगना परवादून देहरादून में व्यवसायिक भवन की स्वीकृतिहेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून

महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग सहस्रधारा रोड 33.00मी0 के उपरान्त आवासीय है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 1500.00 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 06:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0सी0–0118/25–26 **श्रीमती संध्या गुप्ता पत्नी श्री महावीर गुप्ता** एंव श्री महावीर गुप्ता पुत्र श्री **जगदीश गुप्ता द्वारा खसरा नम्बर–1261मि0 एंव 1262क** मौजा–रानीपोखरी परगना परवादून, **तहसील ऋषिकेश देहरादून मेंविद्यमान व्यवसायिक भवन** निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति के **सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0सी0–0118/25–26 श्रीमती संध्या गुप्ता पत्नी श्री महावीर गुप्ता एंव श्री महावीर गुप्ता पुत्र श्री जगदीश गुप्ता द्वारा आवेदि खसरा नम्बर–1261मि0 एंव 1262क मौजा–रानीपोखरी परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश देहरादून में विद्यमान व्यवसायिक भवन निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान रानीपोखरी के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग देहरादून–ऋषिकेश मार्ग 18.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त आवासीय में निर्धारित है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण की अनुमति 05 प्रतिशत इम्पेक्ट शुल्क के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 07:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0164/25–26 **डा0 विपिन वैष्य पुत्र श्री मोती लाल एंव डा0 मीनू** वैष्य पत्नी डा0 विपिन वैष्य **द्वारा खसरा नम्बर 148, 165 (नया नम्बर–273, 274)** मौजा–अधोईवाला परगना परवादून **देहरादून में बारात घर निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0164/25–26 डा0 विपिन वैष्य पुत्र श्री मोती लाल एंव डा0 मीनू वैष्य पत्नी डा0 विपिन वैष्य द्वारा खसरा नम्बर 148, 165 (नया नम्बर–273, 274) मौजा–अधोईवाला परगना परवादून देहरादून में बारात घर निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग 33.00मी0 सहस्रधारा रोड के मार्गाधिकार के उपरान्त वन है। आवेदक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदक की भूमि एंव आरक्षित वन भूमि उक्त चिन्हित सीमा स्तम्भों से पृथक है, पुराना खसरा नम्बर 165 गजट में दिये गये वन विभाग के खसरा नम्बरों में अधिसूचित नही हैं। प्रश्नगत स्थल के नजदीक आवासीयभू–उपयोग होने से परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग भी आवासीय ही माना जायेगा। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भू–उपयोग में बारात घर की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण की पुनः जांच करा ली जाये व विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 08:– **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0107/25–26 श्री संजय कुमार पन्त पुत्र श्री भगवती प्रसाद पन्त द्वारा खसरा नम्बर–126 मौजा–नौगॉव परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में हॉस्टल/आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0107/25–26 श्री संजय कुमार पन्त पुत्र श्री भगवती प्रसाद पन्त द्वारा आवेदित खसरा नम्बर–126 मौजा–नौगॉव परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में हॉस्टल/आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान भाऊवाला के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग भाउवाला मार्ग 30.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त आवासीय में निर्धारित है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत हॉस्टल निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 09:– **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0270/25–26 श्रीमती हेमलता शर्मा पत्नी श्री सूरज कुमार द्वारा सम्पत्ति संख्या–24/1 देहराखास, परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर प्रोफेशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0270/25–26 श्रीमती हेमलता शर्मा पत्नी श्री सूरज कुमार द्वारा आवेदित सम्पत्ति संख्या–24/1 देहराखास, परगना केन्द्रीयदून देहरादून में प्रोफेशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग श्री गुरूराम राय पी0जी0 कालेज रोड के 2400मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त पब्लिक/सेमी पब्लिक में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005–25 के अनुसार पब्लिक/सेमी पब्लिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रोफेशनल कार्यालय निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 10:– **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0168/25–26 श्रीमती रत्ना कुमारी पुत्री श्री सी0एम0 रतुडी द्वारा खसरा नम्बर–246क मि0 मौजा–अटूरवाला, परगना परवादून, तहसील डोईवाला देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0168/25–26 श्रीमती रत्ना कुमारी पुत्री श्री सी0एम0 रतुडी द्वारा आवेदित खसरा नम्बर–246क मि0 मौजा–अटूरवाला, परगना परवादून, तहसील डोईवाला देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान भानियावाला के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग

देहरादून–ऋषिकेश रोड के 30.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त आवासीय में निर्धारित है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण की अनुमति 05प्रतिशत इम्पेक्ट शुल्क के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 11:– मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0189/25–26 **श्री देबेन्द्र बर्त्वाल दून वैली ऑफिसर्स को–ओपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी द्वारा बसन्त विहार फेज–1 चकराता रोड देहरादून द्वारा खसरा नम्बर–800 मौजा–कांवली देहरादून में सोसाईटी ऑफिस/स्टाफ क्वार्टर आदि भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0189/25–26 श्री देबेन्द्र बर्त्वाल दून वैली ऑफिसर्स को–ओपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी द्वारा–बसन्त विहार फेज–1 चकराता रोड देहरादून द्वारा खसरा नम्बर–800 मौजा–कांवली देहरादून में आवेदित सोसाईटी ऑफिस/स्टाफ क्वार्टर आदि भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग साउथ की ओर 18.00मी0 एंव ईस्ट की ओर 9.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त आवासीय है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 1500.00 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड पर राज्य एंव केन्द्रीय सरकार के कार्यालय एंव पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग के निर्माणों की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 12:– मानचित्र पत्रावली संख्या–आर0–2771/25–26 **श्री देबेन्द्र सिंह रलहान पुत्र श्री भगत सिंह रलहान द्वारा खसरा नम्बर 914झ मि0 (पुराना नं0–368) मौजा आमवाला तरला रायपुर परगना परवादून देहरादून में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–आर0–2771/25–26 श्री देबेन्द्र सिंह रलहान पुत्र श्री भगत सिंह रलहान द्वारा आवेदित खसरा नम्बर 914झ मि0 (पुराना नं0–368) मौजा आमवाला तरला रायपुर परगना परवादून देहरादून में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत पत्र दिनॉक 03–10–2025 के साथ नानक सर कॉपरेटिव हाउसिंग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनॉक 02–07–2022 की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्लाट संख्या एम–1 पर आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र स्थल नानक सर कॉपरेटिव हाउसिंग के तहत प्लाट संख्या एम–1 को स्पेश फौर स्कूल दर्शाया गया था तथा तलपट मानचित्र को प्रोवेट के आधार पर प्राधिकरण

द्वारा स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के आस–पास आवासीय भवन निर्मित हो चुके हैं। इस क्षेत्र में स्कूल बन चुके हैं, जिनकी दूरी प्रश्नगत स्थल से लगभग 50.00 मी0 दूरी पर है।

अतः विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 13:— मानचित्र पत्रावली संख्या–एल0–0009/25–26वेंकट पुण्डीर पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह पुण्डीर, श्री सुमन्त सिंह रावत पुत्र श्री रतन सिंह रावत एंव अन्य द्वारा खसरा नम्बर–518, 522, 535, 545, 551, 554ख, 558, 557, 541, 542, 523, 543क, 521, 555क, 540, 519, 561, 536, 537, 539, 556 मौजा–शेरपुर कल्याणपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में फार्म हाउस तलपट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–एल0–0009/25–26 वेंकट पुण्डीर पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह पुण्डीर, श्री सुमन्त सिंह रावत पुत्र श्री रतन सिंह रावत एंव अन्य द्वारा खसरा नम्बर–518, 522, 535, 545, 551, 554ख, 558, 557, 541, 542, 523, 543क, 521, 555क, 540, 519, 561, 536, 537, 539, 556 मौजा–शेरपुर कल्याणपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में आवेदित फार्म हाउस तलपट निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग 50.00मी0 नदी तट से वृक्षारोपण के उपरान्त दक्षिण ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार दक्षिण ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत फार्म हाउस निर्माण अनुमन्य है।

चर्चा के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि में फार्म हाउस के ले–आउट की स्वीकृति की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय कमांक 14:— मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0310/25–26 श्रीमती तनुजा जुयाल पत्नी श्री विकास जुयाल द्वारा खसरा नम्बर 143कमौजा–मोहकमपुर खुर्द, परगना परवादून देहरादून पर प्रोफेशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0310/25–26 श्रीमती तनुजा जुयाल पत्नी श्री विकास जुयाल द्वारा आवेदित खसरा नम्बर 143क मौजा–मोहकमपुर खुर्द, परगना परवादून देहरादून में प्रोफेशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। देहरादून महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग श्री गुरूराम राय पी0जी0 कालेज रोड के 2400मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त पब्लिक/सेमी पब्लिक में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005–25 के अनुसार पब्लिक/सेमी पब्लिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रोफेशनल कार्यालय की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 15:--- मानचित्र पत्रावली संख्या सी0--0288/25–26 श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री सच्चिदानन्द शर्मा द्वारा खसरा नम्बर--2876मि0, 2881छ, 2881क एंव 2881ज मौजा–माजरीग्रान्ट परगना परवादून देहरादून में ईको रिजोर्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0288/25–26 श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री सच्चिदानन्द शर्मा द्वारा आवेदित खसरा नम्बर–2876मि0, 2881छ, 2881क एंव 2881ज मौजा–माजरीग्रान्ट परगना परवादून देहरादून में ईको रिजोर्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान माजरीग्रान्ट के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग नदी तट से 30.00मी0 वृक्षारोपण के उपरान्त कृषि में निर्धारित है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत ईको रिजोर्ट निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया कि स्वीकृति से पूर्व स्थल निरीक्षण करते हुये विद्यमान मार्ग की चौड़ाई के अनुरूप ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 16:--- मानचित्र पत्रावली संख्या सी0--0283/25–26 श्री प्रेम सिंह पयाल पुत्र श्री देवी सिंह एंव श्री आनन्द सिंह पयाल पुत्र श्री प्रेम सिंह पयाल द्वारा खसरा नम्बर–9क, 9ख, 10ख एंव 1ग मौजा--पुस्ताडी परगना परवादून देहरादून में ईको रिजोर्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0283/25–26 श्री प्रेम सिंह पयाल पुत्र श्री देवी सिंह एंव श्री आनन्द सिंह पयाल पुत्र श्री प्रेम सिंह पयाल द्वारा आवेदित खसरा नम्बर–9क, 9ख, 10ख एंव 1ग मौजा–पुस्ताडी परगना परवादून देहरादून में ईको रिजोर्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियम के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग नदी तट से 30.00मी0 वृक्षारोपण के उपरान्त कृषि में निर्धारित है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत ईको रिजोर्ट निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 17:--- मानचित्र पत्रावली संख्या--सी0--0275/25–26 श्री सुनील बब्बर पुत्र स्व0 श्री हरबंश लाला बब्बर द्वारा खसरा नम्बर 927 मौजा--झाझरा परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून में रेस्टोरेण्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0275/25–26 श्री सुनील बब्बर पुत्र स्व0 श्री हरबंश लाला बब्बर द्वारा आवेदित खसरा नम्बर 927 मौजा–झाझरा परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून में रेस्टोरेण्ट भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग चकराता रोड के 50.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त

31

पब्लिक / सेमी पब्लिक है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार पब्लिक / सेमी पब्लिक भू–उपयोग के अन्तर्गत रेस्टोरेण्ट निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 18:–– मानचित्र पत्रावली संख्या–एमडीडीए / एनसी / एए / 0009 / 25–26 श्री श्रीनिधि त्रिपाठी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा खसरा नम्बर 08 मौजा–डांडा धोरण, परगना परवादून सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर प्रोफेशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–एमडीडीए / एनसी / एए / 0009 / 25–26 श्री श्रीनिधि त्रिपाटी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाटी द्वारा खसरा नम्बर 08 मौजा–डांडा धोरण,परगना परवादून सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर प्रोफेशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग सहस्त्रधारा रोड के 30.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त पब्लिक / सेमी पब्लिक में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005–25 के अनुसार पब्लिक / सेमी पब्लिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रोफेशनल कार्यालय निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 19:––मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0163 / 25–26 श्री गुरू रामराय हायर सेकेण्ड्री स्कूल द्वारा–श्री महन्त इन्द्रेश दास द्वारा खसरा नम्बर 715 एंव 780 मौजा–देहराखास,परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर व्यवसायिक क्रियाकलाप के तहत मल्टीपल लेवल कार पार्किगं निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0163 / 25–26 श्री गुरू रामराय हायर सेकेण्ड्री स्कूल द्वारा–श्री महन्त इन्द्रेश दास द्वारा खसरा नम्बर 715 एंव 780 मौजा–देहराखास,परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर व्यवसायिक कियाकलाप के तहत मल्टीपल लेवल कार पार्किगं निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग आवासीय में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005–25 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 18.00मी0 चौडे मार्ग व 1500.00 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल में व्यवसायिक कियाकलाप प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 20:–– मानचित्र पत्रावली संख्या सी0सी0–0113 / 25–26 श्रीमती किरन चौधरी पत्नी श्री अमित रंजन द्वारा खसरा नम्बर 884क मौजा–रामपुरकंला परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून में रिटेल शोरूम भवन निर्माण की प्रशमन / स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या सी0सी0–0113 / 25–26 श्रीमती किरन चौधरी पत्नी श्री अमित रंजन द्वारा खसरा नम्बर 884क मौजा–रामपुरकंला परगना

पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून में रिटेल शोरूम भवन निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान सेलाकुई के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पब्लिक/सेमी पब्लिक है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार पब्लिक/सेमी पब्लिकभू–उपयोग के अन्तर्गत रिटेल शोरूम निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 21:– मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0338/24–25आरई1 श्री नरेश कुमार पुत्र श्री मेहताब सिंह, श्री खुर्रम खान पुत्र श्री मुश्तेहसान खान एंव श्रीमती रेनू रानी पत्नी श्री अमित कुमार द्वारा खसरा नम्बर 66क, 64क मौजा–धोरणखास परगना परवादून देहरादून में रेस्टोरेण्ट भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0338/24–25आरई1 श्री नरेश कुमार पुत्र श्री मेहताब सिंह, श्री खुर्रम खान पुत्र श्री मुश्तेहसान खान एंव श्रीमती रेनू रानी पत्नी श्री अमित कुमार द्वारा आवेदित खसरा नम्बर 66क, 64क मौजा–धोरणखास परगना परवादून देहरादून में रेस्टोरेण्ट भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग जोनल प्लान रोड 18.00मी0 एंव दक्षिण में 12.00मी0 मार्ग के उपरान्त पार्क है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार पार्क भू–उपयोग के अन्तर्गत रेस्टोरेण्ट निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क है,अतः उक्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय कमांक 22:– मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0326/25–26 श्री राजेश अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 1409ग्राम–आर्केडियाग्रान्ट,परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर गोदाम भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड के समक्ष श्री राजेश अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 1409 ग्राम–आर्केडियाग्रान्ट, परगना केन्द्रीयदून देहरादून में आवेदित मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0326/25–26 गोदाम भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग कृषि में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005–25 के अनुसार कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत गोदाम भवन की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 23:-- मानचित्र पत्रावली संख्या सी--0327/25--26 श्री दीपक अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 1409ग्राम--आर्केडियाग्रान्ट,परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर गोदाम भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री दीपक अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 1409 ग्राम--आर्केडियाग्रान्ट, परगना केन्द्रीयदून देहरादून में आवेदित मानचित्र पत्रावली संख्या--सी--0327/25--26 द्वारा गोदाम भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। देहरादून महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू--उपयोग प्रेमनगर मार्ग के 9.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त कृषि में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005--25 के अनुसार कृषि भू--उपयोग के अन्तर्गत गोदाम भवन की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार--विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 24:-- **मानचित्र पत्रावली संख्या सी0--0308/25--26 श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री गणपत राय एंव श्रीमती शकुन्तला रानी पत्नी श्री रमेश चन्द्र गुप्ता एंव नीरा गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता द्वारा खसरा नम्बर 34 एंव 44 मौजा--धूलकोट खालसा, परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून में वेयर हाउस निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

मानचित्र पत्रावली संख्या सी0--0308/25--26 श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री गणपत राय एंव श्रीमती शकुन्तला रानी पत्नी श्री रमेश चन्द्र गुप्ता एंव नीरा गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता द्वारा खसरा नम्बर 34 एंव 44 मौजा--धूलकोट खालसा, परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून में वेयर हाउस निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। देहरादून महायोजना--2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू--उपयोग कृषि है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार कृषि भू--उपयोग के अन्तर्गत वेयर हाउसनिर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार--विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया कि स्वीकृति से पूर्व स्थल निरीक्षण करते हुये विद्यमान मार्ग की चौड़ाई के अनुरूप ही मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 25:-- **मानचित्र पत्रावली संख्या सी0सी0--0114/25--26 श्री बिरेश जैन पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री निशान्त जैन पुत्र श्री बिरेश जैन द्वारा खसरा नम्बर 2347/2 मौजा--ईष्टहोपटाउन, परगना पछवादून देहरादून में व्यवसायिक भवन की प्रशमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समसक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या सी0सी0--0114/25--26 श्री बिरेश जैन पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री निशान्त जैन पुत्र श्री बिरेश जैन द्वारा आवेदित खसरा नम्बर 2347/2 मौजा--ईष्टहोपटाउन, परगना

पछवादून देहरादून में व्यवसायिक भवन की प्रशमन/स्वीकृतिहेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसारप्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग नदी तट से 30.00मी0 वृक्षारोपण के उपरान्त आवासीय है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 1500.00 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में एक पी0आई0एल0 दायर है। अतः विचार–विमर्श के उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ पदान किया गया कि उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण प्रकरण का भली भांति परीक्षण करते हुये प्रशमन/स्वीकृति प्रदान की जाये जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

विषय कमांक 26:–– मानचित्र पत्रावली संख्या सी0–0220/25–26 श्रीमती अल्का वालिया पत्नी श्री विवेक वालिया द्वारा मौजा–बद्रीपुर परगना परवादून देहरादून के खसरा नम्बर 86क में गेस्ट हाउस निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्रीमती अल्का वालिया पत्नी श्री विवेक वालिया द्वारा मौजा–बद्रीपुर परगना परवादून देहरादून के खसरा नम्बर 86क में गेस्ट हाउस निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र संख्या सी0–0220/25–26 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग आवासीय है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत गेस्ट हाउस निर्माण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

बोर्ड के समक्ष सचिव, आवास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 05/V–02/ 62(आ0)16/ 2016 दिनॉक 02जनवरी, 2017 की प्रति प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में स्थल पर मौजूद 6.00मी0 मार्ग में मुख्य मार्ग से प्रस्तावित भूखण्ड 75.00मी0 लम्बाई तक सड़क की मानक चौडाई 9.00मी0 में भवन निर्माण एंव विकास उपविधि,2011(संशोधित, 2015) के बिन्दु संख्या 1.2.3 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बोर्ड की अभिमत की प्रत्याशा में शिथिलता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदत्त की गयी है कि प्रस्तावित भूखण्ड क्षेत्र के आगे पूर्ण 15.00मी0 चौडाई में मार्ग छोड़ा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। आवेदक द्वारा शासनादेश संख्या 05/V–02/ 62(आ0)16/2016 दिनॉक 02 जनवरी, 2017 के अनुपालन में अपने भूखण्ड के आगे 15.00मी0 चौडाई में मार्ग छोड़ते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा शासनादेश संख्या 05/V–02/ 62(आ0)16/ 2016 दिनॉक 02जनवरी, 2017 में मार्ग की शिथिलता की स्वीकृति प्रदान की गयी है, अतः सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 27:– ग्राम धौलास में प्राधिकरण की निर्माणाधीन धौलास आवासीय परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि ग्राम धौलास स्थित प्राधिकरण की धौलास आवासीय परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु धौलास आवासीय परियोजना की संशोधित लागत रु0 102.74 करोड़ (जी0एस0टी0 एवं समस्त करों सहित) के निर्धारण एवं परियोजना के वित्त पोषण हेतु रु0 50.00 करोड़ का ऋण हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेषन (हुडको) के माध्यम से लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29/05/2025 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिस क्रम में बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया था (बैठक कार्यवृत्त संलग्न):–

"उपरोक्त के आलोक में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से विस्तृत विवरण सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।"

उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के क्रम में उक्त प्रकरण को शासन को संदर्भित किया गया। प्रमुख सचिव, आवास अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्या– 581/V–2–आ0/E–89655 दिनांक 15/09/2025 के माध्यम से सम्यक् विचारोपरांत धौलास आवासीय परियोजना को शीघ्र पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से योजना के अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) के माध्यम से रु0 50.00 करोड़ का ऋण लिये जाने हेतु परियोजना की भूमि को हुडको के पक्ष में बंधक रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

1. **प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋण की प्रतिपूर्ति की मॉग शासन से नहीं की जायेगी। अतः ऋण की प्रतिपूर्ति की देनदारी शासन की नहीं होगी।**
2. **प्रस्ताव पर अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के बोर्ड का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा।**

अतः विचार–विमर्श के उपरांत उपरोक्तानुसार धौलास आवासीय परियोजना की संशोधित लागत रु0 102.74 करोड़ (जी0एस0टी0 एवं समस्त करों सहित) के निर्धारण एवं परियोजना के वित्त पोषण हेतु रु0 50.00 करोड़ का ऋण हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) के माध्यम से लिये जाने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त सशर्त स्वीकृति के अनुपालन में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 28:– मौजा चलचला (सिल्ला) परगना परवादून तहसील सदर, देहरादून स्थित भूमि खसरा नं0 133 (ओल्ड खसरा नं0 175/1) रकबा 2081 वर्गमीटर, 134 (ओल्ड खसरा नं0 175/1) रकबा 500 वर्गमीटर, 138 (ओल्ड खसरा नं0 175/1 एवं 176/2) रकबा 1430 वर्गमीटर कुल रकबा 4011 वर्गमीटर का भू–उपयोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र (कृषि) से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवेदक श्री प्रेम सिंह पयाल पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह एवं निखिल अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द एवं अन्य द्वारा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है

कि भूमि खसरा नं0 133 (ओल्ड खसरा नं0 175/1) रकबा 2081 वर्गमीटर, 134 (ओल्ड खसरा नं0 175/1) रकबा 500 वर्गमीटर, 138 (ओल्ड खसरा नं0 175/1 एवं 176/2) रकबा 1430 वर्गमीटर कुल रकबा 4011 वर्गमीटर मौजा चलचला (सिल्ला) परगना परवादून तहसील सदर, देहरादून का भू–उपयोग कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा स्थल का की–प्लान को–ऑर्डिनेट (30.4418496 78.1953507) सहित प्रस्तुत किया गया है, ड्राफ्टस्मैन की आख्यानुसार स्थल का मिलान महायोजना–2031 से करने पर प्रश्नगत स्थल सेक्टर प्लान से बाहर है तथा मास्टर प्लान में 24.0 मीटर चौड़े धनौल्टी महायोजना मार्ग में से लगा हुआ है, मार्गाधिकार के पश्चात 10.0 मीटर गहराई तक कन्ट्रोल कोरिडोर एवं तत्पश्चात उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत है।

शासनादेश संख्या 1311/V–2/20–10(आ0)2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 4,000 से 10,000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय विकास प्राधिकरणों में निहित है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 29:– **भूमि खाता संख्या 78 में खसरा नं0 10 रकबा 725 वर्गमीटर, खसरा नं0 12 रकबा 3360 वर्गमीटर, खसरा नं0 13 रकबा 1780 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 14 रकबा 2630 वर्गमीटर एवं भूमि खाता संख्या 55 में खसरा नं0 8 रकबा 725 वर्गमीटर, खसरा नं0 11 रकबा 180 वर्गमीटर दोनों खातों का कुल रकबा 9400 वर्गमीटर ग्राम बागी, परगना परवादून तहसील ऋषिकेश का भू–उपयोग पूर्वी ग्रामीण क्षेत्र (कृषि) से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवेदक श्री नफीस पुत्र श्री जमील द्वारा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें भूमि खाता संख्या 78 में खसरा नं0 10 रकबा 725 वर्गमीटर, खसरा नं0 12 रकबा 3360 वर्गमीटर, खसरा नं0 13 रकबा 1780 वर्गमीटर, खसरा नं0 14 रकबा 2630 वर्गमीटर एवं भूमि खाता संख्या 55 में खसरा नं0 8 रकबा 725 वर्गमीटर, खसरा नं0 11 रकबा 180 वर्गमीटर दोनों खातों का कुल रकबा 9400 वर्गमीटर ग्राम बागी, परगना परवादून तहसील ऋषिकेश का भू–उपयोग कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।

ड्राफ्टस्मैन की आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल का मिलान महायोजना–2031 से करने पर स्थल सेक्टर प्लान से बाहर है तथा मास्टर प्लान में वन विभाग सीमा के पश्चात पूर्वी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है। आवेदक को भू–उपयोग परिवर्तन से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

तहसीलदार, ऋषिकेश के पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा आख्या के अनुसार ग्राम बागी, परगना परवादून तहसील ऋषिकेश के भूमि खाता संख्या 78 में खसरा नं0 10/0.0725 है0, 12/0.3360 है0, 13/0.1780 है0, 14/0.2630 है0 एवं भूमि खाता संख्या 55 में खसरा नं0 8/0.0725 है0, 11/0.0180 है0 कुल रकबा 0.9400 है0 श्री नफीस पुत्र श्री जीमल के नाम विक्रय किया है। खसरा नं0 10, 11, 12, 13, 14 पर साल के वृक्ष है एवं खसरा नं0 8 के

आंशिक भाग पर साल के वृक्ष है, उक्त भूमि गोल्डन फोरेस्ट से प्रभावित नहीं है। उक्त खसरा नं0 10, 11, 12, 13, 14 व 8 के किसी भाग में वन विभाग सम्मिलित रूप से शामिल नहीं है एवं वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरों पर कृषि कार्य नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

शासनादेश संख्या 1311/V–2/20–10(आ0)2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 4,000 से 10,000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय विकास प्राधिकरणों में निहित है।

विचार–विमर्श के उपरांत भूमि खाता संख्या 78 में खसरा नं0 10 रकबा 725 वर्गमीटर, खसरा नं0 12 रकबा 3360 वर्गमीटर, खसरा नं0 13 रकबा 1780 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 14 रकबा 2630 वर्गमीटर एवं भूमि खाता संख्या 55 में खसरा नं0 8 रकबा 725 वर्गमीटर, खसरा नं0 11 रकबा 180 वर्गमीटर दोनों खातों का कुल रकबा 9400 वर्गमीटर ग्राम बागी, परगना परवादून तहसील ऋषिकेश का महायोजना 2031 के अनुसार भू–उपयोग पूर्वी ग्रामीण क्षेत्र (कृषि) से आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि स्थल पर विद्यमान वृक्षों की सुरक्षा हेतु शपथ पत्र व वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही अनुमोदन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 30:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0/0302/25–26 में **आवेदक श्री हर्ष अरोडा पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार अरोडा एवं श्री शिखर अरोडा पुत्र श्री विरेन्द्र अरोडा द्वारा, नगर निगम प्रोपर्टी संख्या–17, 27/22, खसरा न0–298मि0 हरिद्वार रोड (गैरोला नगर) ऋषिकेश जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0/0302/25–26 में आवेदक श्री हर्श अरोडा पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार अरोडा एवं श्री षिखर अरोडा पुत्र श्री विरेन्द्र अरोडा द्वारा नगर निगम प्रोपर्टी संख्या–17, 27/22, खसरा न0–298मि0 हरिद्वार रोड (गैरोला नगर) ऋषिकेश जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि मानचित्रकार की आख्या के अनुसार ऋषिकेश महायोजना–2011 में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र में निर्धारित है। ऋषिकेश जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्र भू–उपयोग में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव/उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर लिया जाये तथा विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

31

विषय कमांक 31:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0/0307/25—26 में आवेदक डा0 बी0 एस0 गुप्ता द्वारा खसरा न0—18क मि0, 67घ मि0, 5ग मि0, 17ख, 19मि0, मौजा वीरपुर खुर्द, पशुलोक, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में होटल एवं रेस्टोरेन्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0/0307/25—26 में आवेदक डा0 बी0 एस0 गुप्ता द्वारा खसरा न0—18क मि0, 67घ मि0, 5ग मि0, 17ख, 19मि0, मौजा वीरपुर खुर्द, पशुलोक, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में आवेदित होटल एवं रेस्टोरेन्ट निर्माण की स्वीकृति हेतु शमन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि मानचित्रकार की आख्या के अनुसार ऋषिकेश महायोजना—2011 में प्रश्नगत स्थल का भू—उपयोग आवासीय में निर्धारित है। ऋषिकेश जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू—उपयोग में होटल एवं रेस्टोरेन्ट निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार—विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 32:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0सी0/0117/25—26 में आवेदक विकान्त कुमार पुत्र श्री सारंगधर सिंह द्वारा ,नगर निगम प्रोपर्टी संख्या—819, गैरोला नगर, हरिद्वार रोड ऋषिकेश जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0सी0/0117/25—26 में आवेदक विकान्त कुमार पुत्र श्री सारंगधर सिंह द्वारा नगर निगम प्रोपर्टी संख्या—819, गैरोला नगर, हरिद्वार रोड ऋशिकेष जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति हेतु शमन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि मानचित्रकार की आख्या के अनुसार ऋषिकेश महायोजना—2011 में प्रश्नगत स्थल का भू—उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र में निर्धारित है। ऋषिकेश जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्र भू—उपयोग में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार—विमर्श के उपरांत बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड से आख्या प्राप्त कर ली जाये व आख्या प्राप्त होने के पश्चात तद्नुसार उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को प्रकरण के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया।

विषय कमांक 33:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0/0321/25—26 में आवदिका श्रीमती कमल अरोडा पत्नी श्री गौरव अरोडा द्वारा खसरा न0—276मि, गंगा नगर मौजा ऋशिकेष परगना परवादून तहसील ऋशिकेष जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0/0321/25—26 में आवेदिका श्रीमती कमल अरोडा पत्नी श्री गौरव अरोडा द्वारा खसरा न0—276मि, गंगा नगर मौजा ऋषिकेश परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति हेतु शमन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को यह

भी अवगत कराया गया कि मानचित्रकार की आख्यानुसार ऋषिकेश महायोजना–2011 में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र में निर्धारित है। ऋषिकेश जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्र भू–उपयोग में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव/उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर लिया जाये मानचित्र निस्तारण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष म0दे0वि0प्रा0 के स्तर से निर्णय लिया जाये।

विषय कमांक 34:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0सी/0116/25–26 में **आवेदक श्री दुष्यन्त सेठी पुत्र श्री भूषण** लाल सेठी, नगर निगम प्रोपर्टी न0–**389ए/369बी0, हरिद्वार रोड ऋषिकेश परगना परवादून** तहसील **ऋषिकेश जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति** के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0सी/0116/25–26 में आवेदक श्री दुष्यन्त सेठी पुत्र श्री भूषण लाल सेठी, नगर निगम प्रोपर्टी न0–389ए/369बी0, हरिद्वार रोड ऋषिकेश परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति हेतु शमन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्रकार की आख्या के अनुसार ऋषिकेश महायोजना–2011 में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र में निर्धारित है। ऋषिकेश जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्र भू–उपयोग में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड से आख्या प्राप्त कर ली जाये व आख्या प्राप्त होने के पश्चात तद्नुसार उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को प्रकरण के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया।

विषय कमांक 35:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0आर0/0644/25–26 में **आवेदक श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त** शर्मा एवं श्री अंकित भाटिया पुत्र स्व0 **श्री राजपाल भाटिया नगर निगम प्रोपर्टी न0–376/1,** खाता नम्बर–0695, खसरा नम्बर–276/2 मि0, **मौजा ऋषिकेश परगना परवादून तहसील** ऋषिकेश जिला देहरादून **में रेस्टोरेंट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति के सम्बन्ध** में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0आर0/0644/25–26 में आवेदक श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा एवं श्री अंकित भाटिया पुत्र स्व0 श्री राजपाल भाटिया नगर निगम प्रोपर्टी न0–376/1, खाता नम्बर–0695, खसरा नम्बर–276/2 मि0, मौजा ऋषिकेश परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की स्वीकृति हेतु शमन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी

31

अवगत कराया गया कि मानचित्रकार की आख्या के अनुसार ऋषिकेश महायोजना–2011 में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र में निर्धारित है। ऋषिकेश जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्र भू–उपयोग में रेस्टोरेन्ट एवं काफिलो के ठहरने का स्थान की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव / उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर लिया जाये तथा विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 36:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0सी0 / 0098 / 25–26 में आवेदक श्री स्वामी दिव्यानन्द महाराज, चित्रकोट अखण्ड आश्रम द्वारा पुराना खसरा न0–276 / 6 / 16, खसरा न0–276 / 6 / 19 ऋषिकेश परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला–देहरादून में व्यवसायिक कार्यालय एवं सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान (धर्मशाला आश्रम) के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

बोर्ड के समक्ष मानचित्र संख्या–सी0सी0 / 0098 / 25–26 में आवेदक श्री स्वामी दिव्यानन्द महाराज, चित्रकोट अखण्ड आश्रम द्वारा पुराना खसरा न0–276 / 6 / 16, खसरा न0–276 / 6 / 19 ऋषिकेश परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला–देहरादून में व्यवसायिक कार्यालय एवं सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान (धर्मशाला आश्रम) के निर्माण की स्वीकृति हेतु शमन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि पूर्व में मानचित्र संख्या–सी0 / 0616 / 23–24 आश्रम प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया था। परन्तु वर्तमान में विपक्षी द्वारा स्थल पर व्यवसायिक निर्माण किया गया है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि मानचित्रकार की आख्या के अनुसार ऋषिकेश महायोजना–2011 में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग आवासीय में निर्धारित है। ऋषिकेश जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक कार्यालय निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड से आख्या प्राप्त कर ली जाये व आख्या प्राप्त होने के पश्चात तद्नुसार उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को प्रकरण के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया।

विषय कमांक 37:– भूमि खाता संख्या 28 में खसरा नं0 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 रकबा 26180 वर्गमीटर, खसरा नं0 22, 23, 25 रकबा 10241 वर्गमीटर, कुल रकबा 36421 वर्गमीटर ग्राम उद्दीवाला करनपुर, अन्तर्गत क्षेत्र नगर निगम परगना परवादून जिला देहरादून का भू–उपयोग सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवेदक श्री जगत राम डोगरा पुत्र स्व0 श्री हंसराज डोगरा निवासी लांझां रेंज जिला देहरादून, श्री हिंमान्शु वत्सल पुत्र श्री भूदेव सिंह निवासी ग्राम कासमपुर पो0ओ0 जसपुर उधमसिंह नगर, श्री बलराम यादव पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी बनियावाला गोरखपुर आरकेडिया ग्रान्ट जिला देहरादून द्वारा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि खाता संख्या 28 में खसरा

नं0 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 रकबा 26180 वर्गमीटर, खसरा नं0 22, 23, 25 रकबा 10241 वर्गमीटर, का कुल रकबा 36421 वर्गमीटर ग्राम उद्दीवाला करनपुर, अन्तर्गत क्षेत्र नगर निगम परगना परवादून जिला देहरादून का भू–उपयोग सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन का अनुरोध किया गया है।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड के समक्ष श्री जगत राम डोगरा द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र की प्रति मय संलग्नकों सहित प्रस्तुत की गयी, जिसमें उनके द्वारा कुल रकबा खसरा नम्बरवार प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1– खसरा संख्या 22 रकबा 1001.00 वर्गमीटर

2–खसरा संख्या 23 रकबा 3850.00 वर्गमीटर

3– खसरा संख्या 24 रकबा 6160.00 वर्गमीटर

4–खसरा संख्या 25 रकबा 5390.00 वर्गमीटर

5– खसरा संख्या 26 रकबा 3850.00 वर्गमीटर

6–खसरा संख्या 27 रकबा 1617.00 वर्गमीटर

7– खसरा संख्या 28 रकबा 1540.00 वर्गमीटर

8–खसरा संख्या 29 रकबा 3080.00 वर्गमीटर

9– खसरा संख्या 30 रकबा 3080.00 वर्गमीटर

10–खसरा संख्या 31 रकबा 5390.00 वर्गमीटर

11– खसरा संख्या 32 रकबा 1504.00 वर्गमीटर

कुल रकबा 38462.00 वर्गमीटर

आवेदक द्वारा स्थल का की–प्लान को–ऑर्डिनेट (30.337262, 78.059494) सहित प्रस्तुत किया गया है, ड्राफ्टस्मैन की आख्यानुसार स्थल का मिलान जोनल प्लान से करने पर प्रश्नगत स्थल 09 मी0 महायोजना मार्ग से लगा हुआ है मार्गाधिकार के पश्चात भू–उपयोग सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक (कन्या गुरूकुल) के अन्तर्गत प्रदर्शित है। भू–उपयोग परिवर्तन से पूर्व कन्या गुरूकुल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

शासनादेश संख्या 1311/V–2/20–10(आ0)2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 4,000 से 10,000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय विकास प्राधिकरणों में निहित है जबकि आवेदक द्वारा कुल रकबा 36421 वर्गमीटर का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में म0दे0वि0प्रा0 के राजस्व अनुभाग से पुनः परीक्षण कराये जाने के पश्चात कन्या गुरूकुल, राजस्व विभाग, देहरादून से अनापत्ति पत्र प्राप्त करते हुये भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को सन्दर्भित कर दिया जाये।

अनुपूरक विषय कमांक 01:– **प्राधिकरण में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्त विभाग द्वारा जारी मंहगाई भत्ता/बोनस एंव अन्य भत्ते आदि से सम्बन्धित शासनादेशों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को जिन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है, को समय–समय पर वित्त अनुभाग द्वारा जारी

शासनादेशों में आवास विभाग एंव प्राधिकरण का उल्लेख न होने के कारण निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या–1/338069/2025 दिनांक 15–10–2025 में मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 55 प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्वि करने तथा आदेश संख्या–1/338070/2025 दिनांक 15–10–2025 में अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2024–25 के लिए बोनस के भुगतान हेतु आदेश दिये गये है । उक्त शासनादेश दिनांक 15–10–2025 के बिन्दु संख्या–10 में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे स्थानीय निकाय एंव विकास प्राधिकरण जो लाभ में हो, के कार्मिको को भी तदर्थ बोनस की धनराशि उक्तानुसार देय होगीं, किन्तु उक्त का भुगतान निकाय/विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से स्वंय वहन करना होगा। इसके लिए शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त शासनादेश के कम में प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को मंहगाई भत्ते/बोनस एंव अन्य भत्तें आदि का भुगतान किये जाने हेतु भविष्य में शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों को प्राधिकरण में यथावत् लागू किये जाने तथा अपने संसाधनों से भुगतान करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक विषय कमांक 02:– **प्राधिकरण में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिक पी0एम0यू0/उपनल/पी0आर0डी0/संविदा कर्मी/Nicsi एंव आउटसोर्स कार्मिक) को अन्य नियमित कर्मचारियों की भांति बोनस/प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में कार्यरत 318 आउटसोर्स कार्मिको द्वारा नियमित कर्मचारियों की भांति बोनस दिये जाने का अनुरोध किया गया है। आउटसोर्स कार्मिकों का वेतन वर्तमान में बहुत कम होने के कारण उनके द्वारा नियमित कर्मचारियों की भांति दीपावली के उपलक्ष्य में बोनस की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश न होने के कारण उन्हें बोनस/प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में कार्यरत उपरोक्त आउटसोर्स कार्मिकों में 99 कार्मिक आई0एस0बी0टी0 परिसर एंव 88 कार्मिक सिटी पार्क एंव राजपुर पार्क में 131 कार्मिक (पी0एम0यू0/उपनल/पी0आर0डी0) प्राधिकरण मुख्यालय के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों में तैनात है।

विचार–विमर्श के उपरांत बोर्ड उक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ, अतः प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 03:– देहरादून महायोजना–2041 (प्रारूप) के सापेक्ष प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मसूरी देहरादून विकास क्षेत्र में प्रस्तावित महायोजना–2041 तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। जिसके क्रम में देहरादून महायोजना–2041 (प्रारूप) के सापेक्ष पूर्व में जनसामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई गठित समिति के स्तर पर पूर्ण किये जाने के उपरान्त प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है।

देहरादून महायोजना–2041 (प्रारूप) के सम्बन्ध में जनसामान्य से पूर्व में प्राप्त आपत्ति/आपत्तियों के अतिरिक्त वर्तमान में भी अनेकों आपत्ति/सुझाव प्राधिकरण में प्राप्त हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड इंजीनियरर्स एंव आर्किट्रेक्ट एसोसिऐशन द्वारा भी प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रत्यावेदन में महायोजना प्रारूप–2041 के सापेक्ष भौगोलिक स्तर पर भी अनेकों विषमतायें दृष्टिगोचर होने का उल्लेख किया गया हैं।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से देहरादून महायोजना–2041 (प्रारूप) के सापेक्ष पूर्व में प्राप्त आपत्ति/सुझावों तथा विषमताओं के निराकरण हेतु उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 प्राप्त आपत्ति/सुझाव के अनुसार विभिन्न स्थलों पर कैम्प का आयोजन करते हुये सुनवाई उपरांत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 04:– **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0320/25–26 श्रीमती कमला देवी पैन्यूली पत्नी श्री सुन्दर लाल पैन्यूली द्वारा खसरा नम्बर–1512ग मौजा–बडकोट माफी परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड के समक्ष मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0320/25–26 श्रीमती कमला देवी पैन्यूली पत्नी श्री सुन्दर लाल पैन्यूली द्वारा आवेदित खसरा नम्बर–1512ग मौजा–बडकोट माफी परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि दूनघाटी महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान रानीपोखरी के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग देहरादून–ऋषिकेश मार्ग 30.00मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त बगीचे की बाउण्ड्री के पश्चात आवासीय में निर्धारित है। दूनघाटी महायोजना–2031 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत व्यवसायिक निर्माण की अनुमति 05 प्रतिशत इम्पेक्ट शुल्क के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 05:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0—0344/25—26 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री पूर्ण चन्द द्वारा खसरा नम्बर—452 मिन मौजा—सौंन्धोवाली परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि मानचित्र पत्रावली संख्या—सी0—0344/25—26 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री पूर्ण चन्द द्वारा आवेदित खसरा नम्बर—452 मि0 मौजा—सौंन्धोवाली परगना पछवादून, तहसील विकासनगर देहरादून में होटल निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि जोनल प्लान के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू—उपयोग चकराता रोड महायोजना 50.00 मी0 मार्गाधिकार के उपरान्त औद्योगिक है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार औद्योगिक भू—उपयोग के अन्तर्गत होटल निर्माण की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है।

विचार—विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक 06:— भूमि खसरा नं0 1042, 1069, 1070 कुल रकबा 9990.49 वर्गमीटर, ग्राम शीशमबाडा, परगना परवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून का भू—उपयोग कृषि से सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक विश्वविद्यालय) में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड के समक्ष आवेदक श्री कुलानन्द नौटियाल निवासी मौजा शीशमबाडा जिला देहरादून द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भूमि खसरा नं0 1042, 1069, 1070 कुल रकबा 9990.49 वर्गमीटर, ग्राम शीशमबाडा, परगना परवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून का भू—उपयोग कृषि से सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा स्थल का की—प्लान को—ऑर्डिनेट (30.324260,77.881518) सहित प्रस्तुत किया गया है, ड्राफ्टस्मैन की आख्यानुसार स्थल का मिलान दून घाटी महायोजना—2031 अनुसार प्रष्नगत स्थल जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार नदी के तट से 50.0 मीटर दूरी छोडने के पश्चात पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

शासनादेश संख्या 1311/V—2/20—10(आ0)2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 4,000 से 10,000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय विकास प्राधिकरणों में निहित है। बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण की पुनः जांच करा ली जाये व विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक विषय कमांक 07:-- **भूमि खसरा नं0 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1068, 1069 कुल रकबा 5533.30 वर्गमीटर, ग्राम शीशमबाडा, परगना परवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून का भू--उपयोग कृषि से सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक विश्व विद्यालय) में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवेदक श्री महेश नौटियाल निवासी मौजा शीशमबाडा जिला देहरादून द्वारा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा नं0 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1068, 1069 कुल रकबा 5533.30 वर्गमीटर, ग्राम शीशमबाडा, परगना परवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून का भू--उपयोग कृषि से सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक विश्वविद्यालय) में परिवर्तन का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा स्थल का की--प्लान को--ऑर्डिनेट (30.323617,77.880429) सहित प्रस्तुत किया गया है, ड्राफ्टस्मैन की आख्यानुसार स्थल का मिलान जोनल का मिलान महायोजना--2031 से करने पर जिसके अनुसार प्रश्नगत स्थल सैक्टर प्लान से बाहर है तथा मास्टर प्लान में वन विभाग सीमा के पश्चात पश्चमी ग्रामीण क्षेत्र (Western Rural Zone) के अन्तर्गत है।

शासनादेश संख्या 1311/V--2/20--10(आ0)2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 4,000 से 10,000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू--उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय विकास प्राधिकरणों में निहित है। बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण की पुनः जांच करा ली जाये व विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक विषय कमांक 08:-- **भूमि खसरा नं0, 805क, 840, 810ग, 810क, 805क, 805ग, 841, 811व 812 कुल रकबा 03.5079 है0 ग्राम नौगांव मांडूवाला परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून का भू--उपयोग कृषि से सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री संजय बंसल 32/4 ई0सी0 रोड द्वारा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम नौवगॉव मान्डूवाला खता सख्यां 0165 खसरा न0 805क रकबा 0.770 है0, खाता संख्या 0218 के खसरा न0 840 रकबा 0.2430है0,खाता संख्या 0180 के खसरा न0 810ग रकबा 0.7290 है0, खाता संख्या 00200 के खसरा न0 810 क रकबा 0.6800 है0,खाता संख्या 00033 के खसरा न0 805क रकबा 0.2180 है0,खाता संख्या 0097के खसरा न0 805ग रकबा 0.0570 है0,खाता संख्या 0097 के खसरा न0 841 रकबा 0.1590 है0 ,खाता संख्या 0157 के खसरा न0 0811 रकबा 0.3280 है0 ,खाता संख्या 0157 के खसरा न0 812 रकबा 0.3320 है0 कुल रकबा 26050 वर्गमीटर ग्राम नौगांव, मांडूवाला परगना पछवादून

तहसील विकासनगर जिला देहरादून का भू–उपयोग कृषि से सार्वजनिक एंव अर्द्धसार्वजनिक में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा स्थल का की–प्लान को–ऑर्डिनेट (30.383346,77.926002) सहित प्रस्तुत किया गया है, ड्राफ्टस्मैन की आख्यानुसार स्थल का मिलान महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान भाऊवाला से करने पर स्थल के माध्यम से 12.00 मी0 महायोजना मार्ग प्रस्तावित है मार्गाधिकार के पष्चात स्थल का भू–उपयोग कृषि के अन्तर्गत प्रदर्शित है यहां यह भी अवगत कराना है कि खसरा न0 805 का आंशिक भाग महायोजना में बाग के अन्तर्गत प्रदर्शित है।

शासनादेश संख्या 1311 / V–2 / 20–10(आ0)2020 दिनांक 26.07.2021 के अनुसार 4,000 से 10,000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों / स्थानीय विकास प्राधिकरणों में निहित है। (जबकि आवेदक द्वारा कुल रकबा 36421 वर्गमीटर का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से खसरा संख्या 805 के आंशिक भाग को छोड़ते हुये प्रयोजन के उल्लेख की अनिवार्यता सहित प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी मा0 सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्ति की घोशणा की गयी।

ह0/ 13.11.25
(बंशीधर तिवारी)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

ह0/ 13/11/25
(विनय शंकर पाण्डेय)
अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।